



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042020-218980
CG-DL-E-01042020-218980

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2020/चैत्र 11, 1942

No. 83]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2020/CHAITRA 11, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2020

सं. 67/2015-20

फा. सं. 01/75/171/00001/एएम-20/एफटीपी प्रकोष्ठ.—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

क. प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) 2015-20 में :-

1. पैरा 1.01 में वाक्यांश "31 मार्च, 2020 तक लागू रहेगी" को वाक्यांश "31 मार्च, 2021 तक लागू रहेगी" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।
2. पैरा 2.54(घ) (V) (ii), में तिथि "31 मार्च, 2020" को "30 सितंबर, 2020" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और "1 अप्रैल, 2020" को "1 अक्टूबर, 2020" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।
3. पैरा 2.55(घ) में निम्नलिखित वाक्य को अंत में जोड़ा जाता है:

"तथापि कोई स्वीकृति जिसकी वैधता 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाई गई है अथवा वास्तविक वैधता 29 जून, 2020 तक है को 30 जून, 2020 तक वैध माना जाएगा।

4. पैरा 3.15(क) के अंत में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाता है:
“तथापि उपर्युक्त पैरा 3.15(क) (i) के संबंध में शिपिंग बिल जिनकी मान्य निर्यात की तिथि 01.02.2019 से 31.05.2019 की अवधि के दौरान आती है तो आवेदन 12 माह की अवधि की बजाए 15 माह की अवधि के अंदर भरे जा सकते हैं।”
5. पैरा 3.15(ख) के अंत में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाता है:
“तथापि, वित्तीय वर्ष 18–19 हेतु एसईआईएस आवेदनों को भरने की अंतिम तिथि 31.12.2020 होगी।”
6. पैरा 3.20(क) के अंत में उल्लिखित शब्द ‘फाइल करना’ के बाद निम्नलिखित वाक्यांश को जोड़ा जाता है:
“अथवा दिनांक 31.03.2021, जो भी बाद में हो।”
7. पैरा 4.12(6) में पहले वाक्य में उल्लिखित “31.03.2020” को “31.03.2021” से प्रतिस्थापित किया जाता है।
8. पैरा 4.41(घ) के बाद निम्नलिखित उप-पैरा जोड़ा जाता है:
“(ड.) सभी अग्रिम प्राधिकार पत्रों जिनमें आयात की वैधता दिनांक 01.02.2020 और 31.07.2020 के बीच समाप्त हो रही है, इनकी वैधता स्वतः इसके समाप्त होने की तिथि से छह माह तक बढ़ाई जाती है। प्राधिकार-पत्रों पर किसी अलग संशोधन/पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं है। इस पैरा के अंतर्गत आगे वैधता को बढ़ाने का विकल्प इन प्राधिकार पत्रों के लिए उनकी पात्रता के अनुसार उपलब्ध रहेगा।”
9. पैरा 4.42(ज) के बाद निम्नलिखित उप-पैरा जोड़ा जाता है:
“(झ) सभी अग्रिम प्राधिकार-पत्रों हेतु जहां निर्यात दायित्व अवधि दिनांक 01.02.2020 और 31.07.2020 के बीच समाप्त हो रही है, उनकी निर्यात दायित्व अवधि स्वतः इसके समाप्त होने की तिथि से छह माह तक बढ़ाई जाती है। इस प्रयोजन के लिए संयोजन शुल्क, संशोधन अथवा पृष्ठांकन के साथ किसी अलग आवेदन की आवश्यकता नहीं है। इस पैरा के अंतर्गत वैधता को आगे बढ़ाने का विकल्प इन प्राधिकार-पत्रों हेतु पात्रता के अनुसार उपलब्ध रहेगा।”
10. पैरा 4.59(ड.) के बाद निम्नलिखित उप-पैरा जोड़ा जाता है:
“(च) पुनः प्राप्ति प्राधिकार पत्र आवेदनो हेतु जहां आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिनांक 01.02.2020 और 31.07.2020 के बीच आती है, उनकी अंतिम तिथि छह माह तक बढ़ाई जाती है।”
11. पैरा 4.75(ग) और 4.77(ग) के अंत में निम्नलिखित वाक्य को जोड़ा जाता है:
“उन मामलों के लिए जहां इस पैरा के अंतर्गत निर्यात की अंतिम तिथि 01.02.2020 और 31.07.2020 के बीच आती है, अंतिम तिथि छह माह तक बढ़ाई जाती है।”
12. पैरा 4.80 के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाता है:
“टिप्पणी: वे सभी मामले जहां अंतिम तिथि की गणना उपर्युक्त पैरा 4.80 के विभिन्न उप-पैरों के अंतर्गत उल्लिखित अवधियों के अनुसार की जाती है और वो 01.02.2020 और 31.07.2020 के बीच समाप्त हो रही है, उनकी अंतिम तिथि छह माह तक बढ़ाई जाती है। इसमें पुनप्राप्ति, नामित अभिकरणों के साथ बुकिंग हेतु समयावधि और पुनः आयात हेतु अनुमत समयावधि में वृद्धि करना शामिल होगा। तथापि ब्रिकी से धन प्राप्ति के प्रत्यावर्तन से छूट की अवधि अनुमत अवधि में छह माह के जोड़ के बराबर अथवा आरबीआई के दिशानिर्देशों के अधीन होगी जो भी कम हो।”
13. पैरा 4.85 के बाद निम्नलिखित पैरा को जोड़ा जाता है:

पैरा 4.85 क

उन मामलों के लिए, जहां पैरा 4.82, 4.83, 4.84 और पैरा 4.85 के विभिन्न उप-पैरा के तहत गणना के अनुसार बहुमूल्य धातु का निर्यात/पुनः पूर्ति/आयात/आहरण हेतु अंतिम तिथि दिनांक 01.02.2020 से 31.07.2020 के बीच में समाप्त होती है, ऐसी अंतिम तिथि छह माह के लिए बढ़ाई गई है। तथापि, देश-प्रत्यावर्तन/विदेशी मुद्रा वसूली हेतु अवधि में छूट यथा अनुमत जोड़ छह माह, या आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, जो भी कम है इस अवधि के समान होगी।

14. पैरा 4.95(ट) (क) में, दावों को ऑनलाइन फाइल करने हेतु अंतिम तिथि को दिनांक 30.06.2020 के स्थान पर 31.12.2020 के रूप में संशोधित करके पढ़ा जाए।
15. पैरा 5.04(क) में, प्रथम वाक्य के बाद, निम्नलिखित वाक्य को शामिल किया जाता है:
“तथापि, यदि छह माह की अवधि दिनांक 1 फरवरी, 2020 से 31 जुलाई, 2020 के दौरान समाप्त हो जाती है, तो संस्थापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु अवधि मूल देय तिथि से आगे छह माह के लिए बढ़ाई जाती है।
16. पैरा 5.14(घ) के बाद निम्नलिखित उप-पैरा को जोड़ा जाता है:
“(ड.) तथापि, पैरा 5.14(क), (ग) और (घ) के तहत शामिल प्राधिकार पत्र हेतु यदि ब्लॉक-वार निर्यात दायित्व अवधि दिनांक 1 फरवरी, 2020 से 31 जुलाई, 2020 के दौरान समाप्त हो जाती है, तो ऐसी अवधि इसके समाप्त होने की तिथि से आगे छह माह के लिए स्वतः बढ़ाई गई, ऐसा माना जाएगा।
17. पैरा 5.17(घ) के बाद, निम्नलिखित उप-पैरा को जोड़ा जाता है:
“(ड.) तथापि पैरा 5.17(क), (ख) और (ग) के तहत शामिल प्राधिकार पत्र हेतु यदि ब्लॉक-वार निर्यात दायित्व अवधि दिनांक 01 फरवरी, 2020 से 31 जुलाई, 2020 के दौरान समाप्त हो जाती है, तो ऐसी अवधि इसके समाप्त होने की तिथि से आगे छह माह के लिए स्वतः बढ़ाई गई, ऐसा माना जाएगा।
18. पैरा 6.01(ख) (ii) में, “आगे का विस्तार, यदि आवश्यक है तो बोर्ड के अनुमोदन से प्रदान किया जाएगा” इस वाक्य के बाद, निम्नलिखित वाक्य को शामिल किया जाता है:
“सभी ऐसे एलओपी/एलओआई जिनकी मूल या विस्तारित वैधता जो दिनांक 1 मार्च, 2020 को या इसके बाद समाप्त हो जाती है, को दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक वैध माना जाएगा।”
19. पैरा 6.06(ग) (ii) में, अंत में निम्नलिखित वाक्य को जोड़ा जाता है:
“यदि निर्यात दायित्व अवधि दिनांक 1 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020 के दौरान समाप्त हो जाती है, तो इसे दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक वैध माना जाएगा”
20. पैरा 7.05(क) में, वाक्य संख्या 2 के बाद निम्नलिखित वाक्य को शामिल किया जाता है:
“ऐसे सभी मामलों में, जहां उपर्युक्त तिथि दिनांक 1 मार्च, 2020 को या इसके बाद आ रही है, टीईडी/ड्राबैक के रिफंड हेतु आवेदनों को फाइल करने की तिथि दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक बढ़ाई गई, ऐसा माना जाएगा।”
21. पैरा 7क. 01(घ) में, अंत में निम्नलिखित वाक्य को जोड़ा जाता है:
“31 मार्च, 2019 और 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही हेतु ऐसे दावों के रिफंड हेतु आवेदन को दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक फाइल किया जा सकता है।”
22. पैरा 9.02 में, अंत में निम्नलिखित वाक्य को जोड़ा जाता है:
“विलंब कटौती के प्रयोजन हेतु आवेदन को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को दिनांक 31 मार्च, 2020 की सार्वजनिक सूचना सं. 67/2015-20 द्वारा विस्तारित के रूप में लिया जाएगा।”

ख. परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र में:

- (i) परिशिष्ट-6ड. के खंड 6 में, अंत में निम्नलिखित वाक्य को जोड़ा जाता है:
“मार्च, 2020 और, जून, 2020 को समाप्त तिमाही हेतु क्यूपीआर और दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु एपीआर को दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक फाइल किया जा सकता है।”
- (ii) परिशिष्ट 6ड. के खंड 6(क) में, अंत में निम्नलिखित वाक्य को जोड़ा जाता है:
“फरवरी, 2020 से जून, 2020 तक समाप्त माह हेतु मासिक रिपोर्ट को दिनांक 31 जुलाई, 2020 तक फाइल किया जा सकता है।”

(iii) परिशिष्ट 6ज के खंड (viii) में, अंत में निम्नलिखित वाक्य को जोड़ा जाता है:

“तथापि, 30 सितम्बर, और 31 दिसम्बर 2019 को समाप्त तिमाही के दावों हेतु सीएसटी के रिफण्ड हेतु आवेदनों को फाइल करने की अंतिम तिथि दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक बढ़ाई गई है।”

(iv) टीएमए स्कीम की वैधता दिनांक 31.03.2021 तक बढ़ाने के संबंध में, वाणिज्य विभाग की दिनांक 17.03.2020 की अधिसूचना सं. 17/03/2018—ईपी (कृषि V) (यथा संलग्न) को परिशिष्ट—7 (क) में जोड़ा जाता है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: मौजूदा प्रक्रिया पुस्तक, 2015–2020 की वैधता को दिनांक 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया जाता है। विभिन्न अन्य संशोधन अग्रिम और ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के मामले में निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार, स्तर प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि में विस्तार, विभिन्न आवेदनों और रिटर्न फाइल करने की तिथियों में विस्तार आदि करने के लिए किए गए हैं।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 31st March, 2020

No. 67/2015-2020

F. No. 01/75/171/00001/AM20/FTP Cell.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby makes, with immediate effect, the following amendments:

A. In the Handbook of Procedures (HBP), 2015-20:

1. In para 1.01, the phrase “shall remain in force until 31st March, 2020” is substituted by the phrase “shall remain in force until 31st March, 2021.”
2. In para 2.54(d) (v) (ii), the date “31st March 2020” is substituted by “30th September 2020” and the date “1st April, 2020” is substituted by “1st October, 2020”.
3. In para 2.55(d), the following sentence is added at the end:
“However, any recognition which has extended validity upto 31st March, 2020 or original validity upto 29th June, 2020, would deem to be valid upto 30th June 2020.”
4. The following sentence is added at the end of para 3.15(a):
“However with respect to para 3.15(a)(i) above, for the shipping bills where the Let Export (LEO) date falls during the period 01.02.2019 to 31.05.2019, applications may be filed within a period of 15 months instead of 12 months.”
5. The following sentence is added at the end of para 3.15(b):
“However, the last date for filing SEIS applications for FY 18-19 shall be 31.12.2020.”
6. The following phrase is added after the word ‘filed’ appearing at the end of para 3.20(a):
“or 31.03.2021, whichever is later.”
7. In para 4.12(vi), the date “31.03.2020”, as appearing in the first sentence is substituted by “31.03.2021.”

8. The following sub-para is added after the para 4.41(d):

“(e) For all Advance Authorisations where the validity for import is expiring between 01.02.2020 and 31.07.2020, the validity stands automatically extended by six months from the date of expiry. No separate amendment/endorsement is required on the authorisations. The option to avail further validity extensions under this para would remain available for these authorisations as per eligibility.”

9. The following sub-para is added after para 4.42(h):

“(i) For all Advance Authorisations where the Export Obligation period is expiring between 01.02.2020 and 31.07.2020, the Export Obligation period stands automatically extended by six months from the date of expiry. No separate application with composition fee, amendment or endorsement is required for this purpose. The option to avail further validity extensions under this para beyond this period would remain available for these authorisations as per eligibility.”

10. The following sub-para is added after para 4.59(e):

“(f) For the Replenishment Authorisation applications where the last date of filing the application falls between 01.02.2020 and 31.07.2020, the last date stands extended by six months.”

11. The following sentence is added at the end of paras 4.75(c) and 4.77(c):

“For those cases where the last date of exports under this para falls between 01.02.2020 and 31.07.2020, the last date stands extended by six months.”

12. The following is added at the end of Para 4.80:

“Note: In all those cases where the last date, calculated as per the durations mentioned under various sub-paras of para 4.80 above, is expiring between 01.02.2020 and 31.07.2020, the last date stands extended by six months. This will include extension in time for replenishment, booking with nominated agencies, and time allowed for re-import. However, the relaxation in repatriation of sale proceeds period would be equal to the period allowed plus six months, or as subject to RBI guidelines, whichever is less.”

13. The following para is added after para 4.85:

“4.85 A

For those cases, where the last date for exports/replenishment/imports/drawal of precious metal as calculated under various sub-paras of para 4.82, 4.83, 4.84 and para 4.85, expires between 01.02.2020 and 31.07.2020, such last date stands extended by six months. However, relaxation in the period for repatriation/forex realization would be equal to the period as allowed plus six months, or as per RBI guidelines, whichever is less.”

14. In para 4.95(k)(a), the last date for filing online claims is amended to read as 31.12.2020 in place of 30.06.2020.

15. In para 5.04(a), after the first sentence, the following sentence is inserted:

“However, in case the period of six months expires during 1st February, 2020 to 31st July, 2020, the period for submission of Installation Certificate is extended by further 6 months from the original due date.”

16. After para 5.14(d), the following sub-para is added:

“(e) However, for the authorisations covered under para 5.14 (a), (c) and (d), if the blockwise export obligation period expires during 1st February, 2020 to 31st July, 2020, such period is deemed to be automatically extended by further 6 months from the date of such expiry.”

17. After para 5.17(d), the following sub-para is added:

“(e) However, for the authorisations covered under para 5.17 (a), (b) and (c), if the export obligation period expires during 1st February, 2020 to 31st July, 2020, such period is deemed to be automatically extended by further 6 months from the date of such expiry.”

18. In para 6.01(b)(ii), after the sentence “Further extension, if necessary, will be granted by the Board of Approval.”, the following sentence is inserted:
“All such LOPs/LOIs whose original or extended validity expires on or after 1st March 2020, may be deemed to be valid up to 31st December, 2020.”
19. In para 6.06(c)(ii), the following sentence is added at the end:
“In case the export obligation period expires during 1st March 2020 to 30th June 2020, it would deem to be valid upto 30th September, 2020.”
20. In para 7.05(a), the following sentence is inserted after sentence number 2:
“In all such cases where the above dates fall on or after 1st March, 2020, the date of filing of applications for refund of TED/Drawback may be deemed to be extended up to 30th September, 2020.”
21. In para 7A.01(d), the following sentence is added at the end: “Application for refund of such claims for the quarter ending 31st March, 2019 and 30th June, 2019 may be filed up to 30th September, 2020.”
22. In para 9.02, the following sentence is added at the end:
“Last date of submission of application, for the purpose of late cut, would be taken as that extended *vide* Public Notice No. 67/2015-20 dated 31st March, 2020.”

B. In the Appendices & Aayat Niryat Forms:

- (i) In clause 6 of Appendix-6E, the following sentence is added at the end:
“QPR for quarters ending March, 2020 and June, 2020 and APR for Financial year ending on 31.03.2020 can be filed up to 30th September, 2020.”
- (ii) In clause 6(A) of Appendix 6E, the following sentence is added at the end:
“Monthly reports for months ending February, 2020 to June 2020 can be filed up to 31st July, 2020.”
- (iii) In clause (viii) of Appendix 6H, the following sentence is added at the end:
“However, for the claims of quarters ending 30th September and 31st December 2019, the last date of filing applications for refund of CST is extended up to 30th September, 2020.”
- (iv) Notification No. 17/3/2018-EP (Agri.IV) dated 17.03.2020 of the Department of Commerce, extending validity of the TMA scheme upto 31.03.2021 is added to Appendix-7(A) A.

Effect of this Public Notice: Validity of the existing Hand Book of Procedures, 2015-20 is extended upto 31st March, 2021. Various other amendments are also made providing extension in the export obligation period in case of Advance and EPCG Authorisations, extension in validity period of status certificates, extension in the dates of filing various applications and returns etc.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.